न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 24/2022

पवन कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

–– प्रार्थी

बनाम

1. सरस्वती पत्नी स्व. शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. एकार्थ पुत्र द्रोपती जाति बिश्नोई साकिन 10 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. बिरमा देवी पुत्री शंकरलाल पत्नी कृष्णलाल जाति बिश्नोई साकिन 64 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रामस्वरूप पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. सोमा देवी पुत्री शंकरलाल पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति बिश्नोई साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. विनोद कुमार पुत्र शंकरलाल | जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी
7. विजय कुमार पुत्र शंकरलाल | तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
8. सुशीला पुत्री शंकरलाल पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई साकिन 10 एसपीडी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. सुदेश पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. अनिल कुमार पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई साकिन 26 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अजय सिह चौहान –– प्रार्थी
2. श्री हजिन्द्र सिंह रमाणा ––अप्रार्थी संख्या 1,4,5,8,10
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी सं. 12

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 17/09/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिवक्ता **श्री अजय सिंह चौहान** द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथ्य निम्नानुसार है कि यह कि उक्त अ[illegible]वाद पत्र श्रीमान न्यायालय में पेश हो चुका है जिसमें प्रार्थी को का[illegible]प्रार्थी के दादा, अप्रार्थी सं.1 के पति, अप्रार्थी सं. 2 के नाना, अप्रार्थी सं. 3 ता 10 के [illegible] शंकरलाल थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी सं.2 की माता द्रोपती जो मिन प्रार्थी की भुआ थी की भी मृत्यु हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थी के दादा शंकरलाल की पैतृक कृषि भूमि निम्न प्रकार से है – चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96/79 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक. नाली मय गैर मुमकिन रास्ता खाला खातेदारी में से 13/25 यानी 3.289 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिसकी जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी के दादा शंकरलाल पुत्र मुखराम का 13/25 हिस्सा यानी 3.289 हैक. दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के दादा शंकरलला की मृत्यु दिनांक 11.11.2015 को हो चुकी है। जिसके जायज व कानूनी वारीस अप्रार्थी सं. 1 ता 10 है जिसमें प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं.6 का 1/10 हिस्सा यानी 0.3289 हैक. हिस्सा कृषि भूमि में प्रार्थी का 0.1096 हैक. हिस्सा का हक व हिस्सा निहित है। जिसे प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है व खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 ता 10 के मन में अब उक्त भूमि को लेकर बदनियती पैदा हो गई है। वे अपने हिस्सा की अच्छी मंदी कृषि भूमि की घोषणा करवाये बिना अच्छी कृषि भूमि को औने पौने भाव में नाजायज व अविधिक तरीके से किसी अजनबी व्यक्ति को बेचने पर आमाद है व मिन प्रार्थी का पारिवारीक तौर पर प्राप्त हिस्से को नाजायज तौर पर बेचान कर खुर्द बुर्द करने के लिये तैयार है। यदि अप्रार्थी सं. 1 ता 10 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। जिसकी भरपाई करना मुशकिल हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकरी है कि अप्रार्थी सं. 1 ता 10 प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि में अपने हक व हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96179 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक् नाली मय गैर मुमकिन रास्ता खाला खातेदारी को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई । प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष होने पर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96179 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक् नाली मय गैर मुमकिन रास्ता खाला खातेदारी को रहन बैय न करे व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1,4,5,8,10 की ओर से अधिवक्ता श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल वाद पत्र है। जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 10 की ओर से निम्न प्रकार से है–

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र पेश होने की हद तक स्वीकार है। वादी को वाद पत्र में किसी प्रकार से वाद मे कामयाबी की संभावना हासिल नहीं होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि शंकरलाल की खरीदशुदा कृषि भूमि है जो कि स्वीकार है। शेष शंकरलाल के नाम से चक 16 एसटीजी के प.नं. 73/304, 74/305, 72/305, 72/307, 72/308 की कुल 5.540 हैक. खातेदारी भूमि है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 10 के पिता शंकरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल मे वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96/89 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक. मे से 13/25 यानि 3.289 हैक. की वसीयत अपने जीवनकाल मे अपने मिन प्रतिवादी के नाम उप पंजीयक पीलीबंगा रोबरू गवाहान रामस्वरूप व दिनेश कुमार के समक्ष दिनांक 05.12.2013 को कर दी थी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी की वर्णित 5.440 हैक. भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पिता विनोद कुमार व अप्रार्थी के चाचा प्रतिवादी सं. 9, 7 के पक्ष मे दिनांक 05.12.2013 को ही कर दी थी। वसीयत मुताबिक ही अप्रार्थी अपनी– अपनी भूमि पर काबिज है। इसलिए अप्रार्थी मनगढ़त तथ्यों के आधार पर घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. 10 के पिता शंकरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल मे ही भूमि का घरू बंटवारा करते हुये प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96/89 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक. मे से 13/25 यानि 3.289 हैक. की वसीयत रोबरू गवाहान मिन अप्रार्थी के पक्ष मे तहरीर करवाकर उप पंजीयक पीलीबंगा से दिनांक 05.12.2013 को पंजीयन करवाई थी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी की वर्णित 5.440 हैक. भूमि की वसीयत प्रार्थी के पिता विनोद कुमार व प्रार्थी के चाचा अप्रार्थी सं. 9, 7 के पक्ष मे दिनांक 05.12.2013 को ही कर दी थी । वसीयत मुताबिक ही अप्रार्थी अपनी– अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी को किसी प्रकार से अपरिमय व अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। मिन अप्रार्थी सं. 10 ने पिता श्री शंकरलाल के देहान्त के पश्चात मिन अप्रार्थी के पक्ष मे तहरीर एवं पंजीयन शुदा वसीयत की सुनवाई तथा मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा के यहां दायर किया जो कि वर्तमान मे जैरकार है। मिन अप्रार्थी के पक्ष में तहरीर एवं पंजीयन शुदा वसीयत के नामान्तरण की सुनवाई मे विध्न पैदा करना एवं मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज की कवायद को रोकना एक मात्र वादी का मकसद है जिससे प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति न होकर मिन अप्रार्थी को हो रही है। भूमि का कब्जा मिन अप्रार्थी के पास चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्त श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1, 4, 5, 8 की ओर से प्रस्तुत किया गया निम्न प्रकार से है –

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 मे वाद पत्र पेश होने की हद तक स्वीकार है। वादी को वाद पत्र मे किसी प्रकार से बाद मे कामयाबी की संभावना हासिल नही होगी।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 सजरा खानदान से संबंधित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि शंकरलाल की खरीदशुदा कृषि भूमि है जो कि स्वीकार है। शेष शंकरलाल के नाम से चक 16 एसटीजी के प.न. 73/304, 74/305, 72/305, 72/307, 72/308 की कुल 5.540 हैक. खातेदारी भूमि है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं. 1 के पति, मिन अप्रार्थी सं. 4, 5, 8 के पिता शंकरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल मे प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96/89 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक. मे से 13/25 यानि 3.289 हैक. की वसीयत अपने जीवनकाल मे अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 10 अनिल कुमार के नाम उप पंजीयक पीलीबंगा रोबरू गवाहान रामस्वरूप व दिनेश कुमार के समक्ष दिनांक 05.12.2013 को प्रतिवादी सं. 10 के पक्ष मे कर दी थी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी की वर्णित 5.440 हैक. भूमि की वसीयत प्रार्थी के पिता विनोद कुमार व प्रार्थी के चाचा प्रतिवादी सं. 9, 7 के पक्ष मे दिनांक 05.12.2013 को ही कर दी थी। वसीयत मुताबिक ही अप्रार्थी अपनी अपनी भूमि पर काबिज है। इसलिए प्रार्थी मनगढ़त तथ्यों के आधार पर घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी सं. 1 के पति, मिन अप्रार्थी सं. 4, 5, 8 के पिता शंकरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल मे प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित भूमि चक 25 एसटीजी के खाता सं. 96/89 के प.नं. 46/318 की 6.325 हैक. मे से 13/25 यानि 3.289 हैक. की वसीयत अपने जीवनकाल मे अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 10 अनिल कुमार के नाम उप पंजीयक पीलीबंगा रोबरू गवाहान रामस्वरूप व दिनेश कुमार के समक्ष दिनांक 05.12.2013 को अप्रार्थी सं. 10 के पक्ष मे कर दी थी व तहसील हनुमानगढ़ के चक 16 एसटीजी की वर्णित 5.440 हैक. भूमि की वसीयत प्रार्थी के पिता विनोद कुमार व प्रार्थी के चाचा प्रतिवादी सं. 9, 7 के पक्ष मे दिनांक 05.12.2013 को ही कर दी थी। वसीयत मुताबिक ही अप्रार्थी अपनी– अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थी को किसी प्रकार से अपरिमय व अपूर्णीय क्षति नही हो रही है। अप्रार्थी सं. 10 के द्वारा प्रार्थना पत्र की दफा 3 मे वर्णित रकबा का अपने नाम से नामान्तरण करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार पीलीबंगा के जैरकार कर रखी है। मात्र अप्रार्थी सं. 10 को तंग परेशान करने की नियत से प्रार्थी के द्वारा झूठे तथ्य पेश कर अप्रार्थी सं. 10 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे भूमि दर्ज करने से रोकने की कवायद में है। मौका पर कब्जा भूमि का अप्रार्थी सं. 10 के पास बिना किसी विवाद के चला आ रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे न होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शुन्य एवं आधारहीन होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

–:आदेश:–

पत्रावली में उभय पक्ष अधिवक्ता बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है। उभय पक्षों के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा रही है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कन्फर्म किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 04.02.2022 को जारी स्थगन आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश आज दिनांक 17/09/24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा